

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़अनिल

बनाम

सरकारकिस्म मुकदमा विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)

नं०

133सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07.09.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अभियोजन अधिकारी हाजिर। प्रकरण में प्रार्थी अनिल पिता शोभाराम जाति बलाई निवासी केसरपुरा थाना हिंगोरिया जिला उज्जैन की ओर से पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 151/2021 दिनांक 09.03.2021 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 8, 9 व 10 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1955 एवं अन्तर्गत धारा 11(1)(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 एवं अन्तर्गत धारा 420, 482, 483, 485, 473 एवं 120-बी में जब्त शुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या MP 40 GA 0955 जिसके इंजन नंबर MA1ZN2GHKGIA14808 एवं चैचिस नंबर GHG1A10033 को प्रार्थी अधिकृत/वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 जापता फौजदारी के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा से कमेन्ट्स मय केस डायरी हेतु लिखा गया। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/6834 दिनांक 23.08.2022 से अवगत कराया गया कि वाहन की आवश्यकता नहीं है, अनुसंधान हो गया है। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा द्वारा प्रेषित टिप्पणी शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया एवं जमानत एवं सिपुर्दगी पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तों पर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि जब्तशुदा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नहीं किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा से प्राप्त अनुसंधान पत्रावली का गहनता से परिशीलन/अवलोकन किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा द्वारा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या MP 40 GA 0955 जिसके इंजन नंबर MA1ZN2GHKGIA14808 एवं चैचिस नंबर GHG1A10033 के संबंध में अनुसंधान पूर्ण किया जाना अवगत कराया गया है एवं वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या MP 40 GA 0955 जिसके इंजन नंबर MA1ZN2GHKGIA14808 एवं चैचिस नंबर GHG1A10033 की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना अवगत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब्तशुदा वाहन को वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी को जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः स्वामी/अधिकृत स्वामी द्वारा रुपये 10,00,000/- अक्षरे दस लाख रुपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन वाहन स्वामी/अधिकृत को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। अनुसंधान पत्रावली पुलिस थानाधिकारी कोतवाली निम्बाहेडा को लौटाई जावें। पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो।</p>	

-S/d-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
चित्तौड़गढ़
07.09.2022

